पुस्तकालय

2

2650
10/4/08

असंशोधित

27 MAR 2008

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं०....785....तिथि 12/04/08

अध्यक्षः अब ध्यानाकर्षण लिये जायेंगे ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री छेदी पासवान, ललित कुमार यादव एवं अन्य ग्यारह सभासदों की ध्यानाकर्षण पर सरकार [जल संसाधन विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्षः सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री नंद किशोर यादव,मंत्रीः महोदय, १-४-०८ को जवाब देंगे ।

श्री श्याम रजकःअध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति का सवाल है इसको हमेशा इगनोर किया जा रहा है । समय लिया जा रहा है।

अध्यक्षः नहीं नहीं । माननीय मंत्री, कल जवाब दे दीजिये ।

श्री नंद किशोर यादव,मंत्रीः ठीक है।

अध्यक्षः कल जवाब देगी सरकार ।

श्री श्याम रजकःमहोदय, कब जवाब होगा ?

अध्यक्षः आसन इस बात को स्वीकार किया कि २८ तारीख को होगा जवाब ।

श्रीमती रेणु कुमारी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार [राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्षः सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री रामनाथ ठाकुर,मंत्रीः वस्तुस्थिति यह है कि मैनेजिंग ट्रस्टी श्यामलाल राष्ट्रीय विद्यालय खगड़िया की भूमि खगड़िया जिला गजट द्वारा दिनांक १-०६-२००० को प्रकाशित किया गया । जिला गजट में मौजा हाजीपुर थाना नं०-२६७ खाता नं०-६४,७१,१३२,१४२,१०१ खेसरा क्रमशः२८९,२८८,८५,८९,१४० रकबा क्रमशः ०.७८, १.३३,६५,८९,७१ अर्जित की गई है । नगरपालिका क्षेत्र की अधिशेष भूमि विशेष परियोजनार्थ सुरक्षित रखी गयी है और अभी तक वह अवितरित है । मौजा हरदासचक की अर्जित भूमि नगरपालिका क्षेत्र से बाहर की भूमि है।इस भूमि का वितरण सुयोग्य श्रेणी के २६लाभार्थियों के बीच किया गया है । राजस्व पर्षद पटना के आदेश के आलोक में भू हदबंदी वाद की पुनः सुनवाई भूमि सुधार उप समाहर्त्ता खगड़िया के न्यायालय में की जा रही है ।

श्रीमती रेणु कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने ध्यानाकर्षण में जो खाता खेसरा का जिक्र किया और जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया उससे कोई मेल नहीं खाता है । मेरा कहना है कि मौजा हाजीपुर खाता नं०-१३२,१४५,१०१ खेसरा नं०-१८७ और ८९ और रकबा है क्रमशः डेढ़ बीघा १८ कट्ठा । जिस जमीन पर अभी वर्त्तमान में महिला कॉलेज चल रहा है सरकारी कॉलेज है, बिहार सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है । और २००३ में वहां एक सिरफिरा एस०डी०ओ० गए और उसने गलत तरीके से अवैध ढंग से इसका पर्चा काट दिया । महोदय मैं जानना चाहती हूं कि क्या नगरपालिका क्षेत्र में बना हुआ कॉलेज है ट्रस्ट की जमीन है

वहां खगड़िया में १९१० में ही श्यामलाल जी हुए थे निसंतान थे । उन्होंने अपनी २०० एकड़ जमीन एक निजी ट्रस्ट बनाकर के ट्रस्ट को दे दिया कि इस जमीन का उपयोग केवल शिक्षण संस्थान के लिए होगा । जिसमें कि वहां एक हाई स्कूल चल रहा है नेशनल हाई स्कूल श्यामलाल और महिला महाविद्यालय है एक डी०ए०वी० स्कूल है और केन्द्रीय विद्यालय भी चल रहा है ।

अध्यक्षः प्रश्न क्या है ?

श्रीमती रेणु कुमारीः महोदय, मेरा प्रश्न यही है कि पर्चा जो ट्रस्ट की जमीन जिस पर ये स्कूल है पहले था उसका पर्चा काटकर अमीर लोगों के बीच वितरित कर दिया गया । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है किस हैसियत से एस०डी०ओ० ने जमीन का पर्चा काट दिया । क्या यह कानूनन सही है और क्या इतना पैसा काटकर और जो पर्चा काटा है वह भूमिहीनों को देने का है, दलितों को देने का है या भू स्वामी को देने का है ?

श्री रामनाथ ठाकुर,मंत्रीः महोदय, एक तो यह मामला अर्द्ध न्यायिक में फंसा हुआ है । और जहां तक माननीय सदस्या कह रही हैं कि अमीर लोगों को पर्चा दिया गया है । मेरे पास लिस्ट है सभी २६ दलित परिवारों को दिया गया है जो अभी वहां रह रहे हैं कई वर्षो से । माननीय सदस्या की जो शंका है तो हम इसकी समीक्षा कराकर देख लेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वह कर दिया जाएगा ।

14.

अध्यक्ष : अब व्यवस्था कैसे, इसमें व्यवस्था कैसे होगी ?

(व्यवधान)

एक मिनट रेणुजी, क्या कहना चाहती हैं पूनमजी ?

श्रीमती पूनम देवी यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि माननीय मंत्रीजी का जो जवाब आया है वहां से कि पर्चा बांट दिया गया है ..

अध्यक्ष : इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । हस्ताक्षर भी नहीं है आपका ।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रही थी मंत्री महोदय से..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये,पूनमजी,आपकी कोई बात नहीं जा रही है । रेणुजी आप बोलिये ।

श्रीमती रेणु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाह रही थी इस जमीन का पर्चा गलत ढंग से काट दिया गया है और मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाह रही हूं कि किसी सक्षम,चूंकि गलत ढंग से पर्चा काटा गया है, ट्रस्ट की जमीन है शिक्षण कार्य के लिये और एक भ्रष्ट ..

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने कहा कि वहां पर कुछ दलित परिवार ।

श्रीमती रेणु कुमारी : माननीय मंत्री ने कहा कि २६ लाभार्थी दलित परिवार के रह रहे हैं, मैं स्पॉट पर गयी हूं अध्यक्ष महोदय, अभी उसमें गेहूं की फसल लगी हुई है, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी मैं स्पॉट पर गयी हूं, चल कर मेरे साथ चलें एक भी मकान नहीं है, गेहूं की फसल वहां लहलहा रही है और भूस्वामी लोग है वो लोग जो अवैध ढंग से कब्जा किये हुए है, अपनी आंख से देख रही हूं, मंत्री महोदय को बरगलाया गया है, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि किसी सक्षम पदाधिकारी से चूंकि एक बात और कहना चाहती हूं कि रेवन्यू कोर्ट में ट्रस्टी ने केस किया तो रेवन्यू कोर्ट से डी०एम० को आदेश गया है कि वस्तुस्थिति को बताओ लेकिन वहां के डी०एम० ने कोई भी, कुछ भी कागज नहीं भेजा है रेवन्यू कोर्ट को । अंत में मुझे यहां उठाना पड़ा, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूं मंत्री महोदय को कि इसकी सक्षम पदाधिकारी से जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करा दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये पूनमजी, आप बार-बार उठती हैं । आपकी कोई बात नहीं जायेगी । बैठिये।

श्री रामनाथ ठाकुर,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कहा ही है कि इसकी हम समीक्षा करा लेंगे । अर्द्धन्यायिक समस्या है इसमें हम कोई दखल नहीं दे सकते हैं । समीक्षा कराकर माननीय सदस्या का जो माननीय सदस्या का आरोप है उसकी समीक्षा कराकर न्यायोचित कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : सचिवालय स्तर के किसी पदाधिकारी से करा लीजिये ।

श्री रामनाथ ठाकुर,मंत्री : हम करा देंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सचिवालय स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच करवा लेंगे माननीय मंत्री । श्री गोपाल कुमार अग्रवाल । बैठिये पूनमजी आपकी कोई बात नहीं जा रही है । पूछा हुआ है, सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री,ग्रामीण कार्य विभाग ।

सर्वश्री गोपाल कुमार अग्रवाल,देवनाथ यादव एवं अन्य पाँच सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विजय कुमार द्वारा दिनांक ३१.८.०७ को लोक सूचना पदाधिकारी,ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार,पटना से विहित प्रपत्र में सूचना मांगी गयी कि बोल बम कंस्ट्रक्शन पूर्णिया को वर्ष १९९२ में गलत कार्य निर्माण करने एवं न्यायालय द्वारा गलत कार्य को सत्य पाये जाने के बाद

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति । बातचीत आपस में नहीं करें ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : कारावास भी हुआ था लेकिन वर्तमान में निर्माण कार्य इस कम्पनी को बहुत बड़े पैमाने पर दे दिया गया है, किस नियम के तहत सजा पानेवाले कम्पनी को दुबारा ठेका दिया गया है । सरकार इस संबंध में आगे की कार्रवाई क्या करने का विचार रखती है ? प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति संलग्न करते हुए लोक सूचना पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार,पटना द्वारा अपने पत्रांक ६६०६ दिनांक २५.१०.०७ द्वारा कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल,किशनगंज से याचित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल,किशनगंज द्वारा अपने पत्रांक ११२६ दिनांक ५.११.०७ द्वारा याचित सूचना लोक सूचना पदाधिकारी,ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार,पटना को उपलब्ध करायी गयी जिसकी प्रति लोक सूचना पदाधिकारी ने आवेदनकर्त्ता को अपने पत्रांक ७००६ दिनांक १४.११.०७ द्वारा उपलब्ध कराया ।

...क्रमशः ...

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री, क्रमशः- पुनःआवेदककर्ता ने दिनांक १९.११.२००७ को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना में कतिपय त्रुटियों को इंगित कर अवर सचिव सह सहायक निबंधक,राज्य सूचना आयोग,बेली रोड पटना को एक आवेदन दिया,जिसकी प्रति संयुक्त सचिव,ग्रामीण कार्य विभाग,पटना को भी प्रेषित की गयी।इस संदर्भ में महोदय,पुनःअपर सचिव,ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार,पटना के पत्रांक ७१५८ दिनांक २२.११.२००७ द्वारा कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल किशनगंज से याचित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमंडल किशनगंज द्वारा अपने पत्रांक १२०८ दिनांक २९.११.२००७ द्वारा अपर सचिव,ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार,पटना को उनके पत्र के आलोक में याचित सूचना उपलब्ध करायी गयी,जिसकी प्रति लोक सूचना पदाधिकारी,ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार, पटना द्वारा अपने पत्रांक ७९३१ दिनांक ११.१२.२००७ द्वारा आवेदनकर्ता को उपलब्ध करा दी गयी। कार्यपालक अभियंता,ग्रामीण कार्य प्रमंडल,किशनगंज द्वारा सूचित किया गया कि बोलबम कन्स्ट्रक्शन कार्य प्रमंडल,किशनगंज में कार्यरत है,जिनका निबंधन श्रेणी १ ए में विभागीय पत्रांक २४५७ दिनांक २५.७.२००१ से निर्गत है। विदित हो कि निबंधन नियमावली १९९६ की कंडिका ३ एक में किये गये प्रावधान के अनुसार ये १ ए में निबंधित संवेदक बिहार में कहीं भी कार्य कर सकते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि बोलबम कन्स्ट्रक्शन पूर्णियाँ के पते से निबंधित है,जिसकी निबंधन संख्या ३५६/२००१,श्रेणी १ ए है,न कि किशनगंज के पते से। इसलिए कार्यपालक अभियंता,किशनगंज द्वारा दी गयी सूचना कि किशनगंज में कार्यरत है,सही है। पुनःदिनांक ५.१२.२००७ को सूचना के अधिकार के तहत आवेदनकर्ता श्री विजय कुमार द्वारा विहित प्रपत्रों में आवेदन दिया गया,जिसकी कंडिका ३ की उप-कंडिका ख में मेसर्स बोलबम कन्स्ट्रक्शन,किशनगंज का निबंधन किन-किन परिपत्र के आधार पर की गयी है,से संबंधित सूचना अधियाचित की गयी थी, जिसके संबंध में श्रीकृष्णानंद मल्लिक,लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव,ग्रामीण कार्य विभाग से सूचना मांगी गयी थी,जिसके अनुपालन में अभियंता प्रमुख,ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सूचना दी गयी कि मेसर्स बोलबम कन्स्ट्रक्शन,किशनगंज के नाम से कोई भी निबंधन ग्रामीण कार्य विभाग में नहीं हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के अध्याय २ की धारा ६ ख में यह प्रावधान है महोदय कि आवेदक द्वारा याचित विशिष्ट विर्निदिष्ट सूचना दी जाय। चूंकि आवेदनकर्ता द्वारा इस बोलबम कन्स्ट्रक्शन,किशनगंज के पते के नाम के संदर्भ में सूचना मांगी गयी थी एवं किशनगंज के पते पर मेसर्स बोलबम कन्स्ट्रक्शन का निबंधन विभाग में नहीं होने की स्थिति में विशिष्ट विर्निदिष्ट सूचना अभियंता प्रमुख के स्तर से दी गयी कि मेसर्स बोलबम कन्स्ट्रक्शन,किशनगंज के पते पर इस विभाग में कोई निबंधन नहीं है,जो सही है।

श्री गोपाल कुमार अग्रवालः-अध्यक्ष महोदय,पहला तो जो सूचना मांगी गयी,वह १९.६.२००७ को मांगी गयी,आवेदन किया गया,नियमतः ३० दिनों के अंदर में जवाब मिल जाना चाहिए,यह जवाब मिल रहा है १४.११.०७ यानि १५३ दिनों के बाद। जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि कार्यपालक अभियंता,किशनगंज ने अपने पत्रांक १२०८ में लिखा है कि बोलबम

कन्स्ट्रक्शन, किशनगंज प्रमंडल के अन्तर्गत कार्यरत है फिर पुनःमंत्री जी कह रहे है,मेरे पास पत्र भी यहाँ पर है कि दूसरी सूचना जब उसी के संदर्भ में विस्तृत मांगी गयी तो पुनःलिखा गया कि बोलबम कन्स्ट्रक्शन नाम की कोई भी कंपनी किशनगंज में कार्यरत नहीं है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाह रहा हूँ कि इन दोनों में से कौन सा तथ्य सही हैं,नहीं है या है,पहले इसको स्पष्ट किया जाय।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव, मंत्रीः-महोदय,मैने माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब बड़ा विस्तार से दिया महोदय आज ।

अध्यक्षः- विस्तार से नहीं,संक्षेप में दे दीजिये।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने जो जवाब दिया है वह विस्तार से दिया है । महोदय, मेसर्स बोलबम कंस्ट्रक्शन पूर्णिया में निबंधित है। मैंने कहा कि क्लास-वन श्रेणी के संवेदक, ये जो कंस्ट्रक्शनवाले हैं, वे बिहार में कहीं भी काम कर सकते हैं । कार्यरत का मतलब कि जहां वे काम कर रहे हैं । लेकिन मेसर्स बोलबम किशनगंज में निबंधित नहीं है । मेसर्स बोलबम कंस्ट्रक्शन पूर्णियां में निबंधित है, यह स्पष्ट है ।महोदय, मैंने सारे तथ्यों को आपके माध्यम से रखने का काम किया है ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक अभियंता,किशनगंज ने अपने पत्रांक १२०८ में स्पष्ट लिखा है कि मेसर्स बोलबम कंस्ट्रक्शन इस प्रमंडल के अन्तर्गत कार्यरत है और इनका निबंधन अभियंता प्रमुख - अपर आयुक्त सह विशेष सचिव,ग्रामीण विकास विभाग,बिहार,पटना ने पत्रांक २४५७ दिनांक २५.०७.२००१ के द्वारा हुआ है तो जब कार्य०अभियंता कहते हैं कि ऑलरेडी वहां पर कार्यरत है ओर फिर यहां से पुनः कहा जा रहा है अभियंता प्रमुख के माध्यम से कि किशनगंज में कोई भी मेसर्स बोलबम कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है । महोदय, यह पहले स्पष्ट हो कि यह जो सूचना का अधिकार है इस सूचना के अधिकार में जो तथ्यों को छिपाया गया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो कार्य कर रहा है उसका या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं अथवा उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं ?

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले जो रिपोर्ट मिला उसके बाद हमने जानना चाहा कि किस आधार पर निबंधन हुआ । यह हमने जानने का दोबारे प्रयास किया सूचना के अधिकार के माध्यम से । दूसरा, महोदय, यह स्पष्ट कर दिया जाये कि इस नाम की कोई संस्था नहीं है जिससे जो सूचना का मौलिक अधिकार है, जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करने से वंचित रहा तो उसके लिए जो जिम्मेवार पदाधिकारी है सबसे पहले उस पर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री :महोदय, आपका नियमन हुआ । मैंस पुनः कह रहा हूं कि मे० बोलबम कंस्ट्रक्शन का पूर्णियां के नाम से निबंधन हुआ है और वह क्लास-वन में है । क्लास-वन के कोई भी ठीकेदार बिहार में कहीं भी काम कर सकते हैं तो कार्यरत हैं । योजना निकली,उन्होंने अप्लाई किया,टेंडर में वह क्वालीफाई किया, वह कार्यरत हैं । लेकिन किशनगंज में, मे० बोलबम कंस्ट्रक्शन पूर्णिया के नाम से निबंधित है उसको अधिकार है किशनगंज में ही नहीं सारे बिहार में वह नियमानुसार सारे टेंडर में भाग लेंगे यह मैंने स्पष्ट करने का काम किया है ।

अध्यक्ष : यह आपका अंतिम प्रश्न है ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : दिनांक ५.०९.२००७ को पूर्व में भी इसी कंपनी के कार्य के लिये मैंने विधान सभा में सवाल उठाया था जिसके आधार पर दिनांक ५.०९ को विभागीय पदाधिकारियों के माध्यम से इनके कार्यो की जांच हुंई । मैंने इसके संबंध में तीन बार पत्र लिखा कि कि क्या कार्रवाई हुई । लेकिन आज तक मुझे जवाब नहीं मिला। शून्यकाल एवं निवेदन समिति के माध्यम से जो पत्र हमें मिलता है उसमें कहा गया है कि इसकी एक प्रति एक सप्ताह के अंदर संबंधित सदस्य को जानकारी उपलब्ध करायें । दो-दो साल गुजर गये । लेकिन आज तक किसीका जवाब नहीं मिला है । महोदय, यह जो

सूचना पाने का विधायकों का जो मौलिक अधिकार है,जनता को भी मौलिक अधिकार है, उसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर बार-बार दिया जा रहाहै । इसीलिये मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि जो सूचना पदाधिकारी हैं उसको दुरूस्त करें और इसमें जो गलती हुई है उसके लिए उसको दंडित करें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विषय से विषयांतर हो रहे हैं । माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य से बात करके दिखवा लिया जाये कि क्या समस्या है और जो सकारात्मक राज्यहित में है, जो संभव है, उसको संपादित करा दिया जाये ।

....

सर्वश्री शकील अहमद खान,गजेन्द्र प्रसाद सिंह एवं अन्यय तीन सभासदों की ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकार की ओर से वक्तव्य ।

श्री शकील अहमद खान : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट फीस बिहार अमेंडमेंड एक्ट,२००७ के द्वारा राज्य में मुकदमा दायर करने के समय तथा अन्य कार्यो में कोर्ट फीस में बेतहाशा वृद्धि कर दी गयी है जिसके कारण बिहार के अधिवकतागण तथा आम जनता में काफी आक्रोश है। कोर्ट फीस की बढ़ोत्तरी के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय तथा व्यवहार न्यायालय में न्यायालय का कार्य दो दिन नहीं हो सका । कोर्ट फीस बढ़े रहने के कारण आम जनता में दिनोदिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है ।

अतः जनता को राहत देने के लिए अविलंब कोर्ट फीस घटाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, निबंधन ।

प्रभारी मंत्री : सोमवार को जवाब देंगे ।